आदेश फलक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1942 का नियम 129)

समाहरणालय, सहरसा

(जिला विधि शाखा)

अधिहरण (उत्पाद) वाद सं0.......04......./17–18

राज्य बनाम अल्टो कार रजिस्ट्रेशन नं0–BR-19F-4555

आदेश का क्रम–संख्या और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बाद के टिप्पणी, तारीख–सहित। 3
26.6.18	अधीक्षक उत्पाद, सहरसा से प्राप्त प्रतिवेदन एवं प्रस्ताव के आलोक मे वाद संख्या Misc 260/16 दिनांक–30.08.2016 बिहार उत्पाद अधिनियम 47 (a) में जप्त वाहन अल्टो कार रजिस्ट्रेशन नं0– BR-19F-4555 को मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा 58 के तहत अधिग्रहण की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए विपक्षी को अपना पक्ष स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु नोटिश किया गया। तामिला प्रतिवेदन प्राप्त। अधीक्षक उत्पाद द्वारा बताया गया कि अवर निरीक्षक उत्पाद प्रभुनाथ सिंह द्वारा दिनांक– 30.08.2016 को सिमराहा वार्ड नं0 35, थाना–सदर, जिला–सहरसा के मुख्य सड़क के किनारे रूकी एक अल्टो कार BR-19F-4555 की गुप्त सूचना के आधार पर विधिवत तलाशी की गई। उक्त वाहन से रॉयल स्टेग ब्रांड की 24 बोतल विदेशी शराब प्रत्येक 750 ml, 48 बोतल विदेशी शराब प्रत्येक 375 ml, 85 बोतल विदेशी शराब प्रत्येक 180 ml, बरामद किया गया। अनुसंधान के क्रम में ज्ञात हुआ कि उक्त वाहन मुकेश कुमार साह, पिता–शंकर साह, ग्राम–सिमराहा वार्ड नं0 35, थाना–सदर, जिला–सहरसा का है। मुकेश कुमार साह पर अभियोग दर्ज करते हुए उक्त वाहन को शराब के साथ जप्त कर लिया गया। राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक उत्पाद को सुना। उनके द्वारा बताया गया कि जप्त वाहन से अवैध विदेशी शराब बरामद की गई है। जिससे स्पष्ट होता है कि जप्त वाहन से शराब का परिवहन किया जाता है। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की	

26.6.18

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी सहरसा

धारा–99 विधिमान्यकरण के अनुरूप बिहार उत्पाद अधिनियम से संबंधित पूर्व में किए गए सभी तरह के अपराध और उसके अनुसंधान से संबंधित सारे प्रावधानों पर वर्त्तमान बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 के प्रावधान भी लागु होगें और इसी अनुरूप अपराध और अनुसंधान के कार्य निष्पादित किए जाऐगें ऐसी स्थिति में उक्त अधिनियम के तहत प्राप्त शक्ति के आलोक में जप्त वाहन को अधिग्रहण किया जाना आवश्यक है।

विपक्षी की ओर से कारण पृच्छा दाखिल। कारण पृच्छा में अभिकथन किया गया है कि गाड़ी का उपयोग ड्राईवर चन्दन साह द्वारा किया गया। ड्राईवर शादी के नाम पर गाड़ी मांग कर ले गया। शराब के परिवहन की जानकारी इन्हें नहीं थी। स्पष्ट है कि अल्टो कार BR-19F-4555 अवैध शराब के परिवहन में प्रयोग किया गया। इनकी गाड़ी से शराब का परिवहन नहीं किया गया न तो ऐसा अभिकथन है न ही इस संबंध में कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है। विशेष लोक अभियोजक उत्पाद के अभिकथन तथा अधीक्षक उत्पाद, सहरसा से प्राप्त प्रस्ताव एवं दाखिल कारण पृच्छा के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उक्त वाहन से अवैध शराब बरामद हुआ है तथा जप्त वाहन का उपयोग शराब के परिवहन में किया गया है। सम्पूर्ण बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागु होने के बावजूद जप्त वाहन से शराब पाया जाना दण्डनीय अपराध है। ऐसी स्थिति में बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की तहत उक्त वाहन का अधिग्रहण किया जाना विधिसम्मत् प्रतीत होता है।

अतः इस वाद के अन्तर्गत जप्त अल्टो कार रजिस्ट्रेशन नं0– BR-19F-4555 को बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा–58 (2) में प्रदत् शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिग्रहण करने का आदेश दिया जाता है। अधीक्षक उत्पाद, सहरसा एवं प्रभारी पदाधिकारी, राजस्व शाखा को आदेश दिया जाता है कि जप्त वाहन का मोटरयान निरीक्षक, सहरसा से मूल्यांकन कराकर विधिवत नीलामी कर बिक्री राशि सरकारी कोष में जमा कर दें। आदेश की प्रति अनुपालन हेतु प्रभारी पदाधिकारी, राजस्व शाखा एवं अधीक्षक उत्पाद, सहरसा को देगें।

इसी के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की गयी है।

लेखापित एवं शुद्धिकृत

26-6-18

समाहर्त्ता,
सहरसा।

26-6-18

समाहर्त्ता,
सहरसा।

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, सहरसा

समाहरणालय सहरसा
(जिला विधि शाखा)

ज्ञापांक 764-2 / विधि, दिनांक 03-06-17

प्रतिलिपि :— अधीक्षक उत्पाद, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :— प्रभारी पदाधिकारी, राजस्व शाखा, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :— मोटरयान निरीक्षक, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :— जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2.6.17

प्रभारी पदाधिकारी,
विधि शाखा, सहरसा।

26.5.17